

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं0 211

नई विस्लो, शनिवार, मई 27, 1995 (उन्नेष्ठ 6, 1917)

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1995 (JYAISTHA 6, 1917)

इस भाग में भिन्त पुष्ठ संख्या दी जाती है जिलते कि यह अनग संकनत के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

# भाग III—बन्ड 4 [PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलत हैं

|Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies|

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 26 अप्रैल 1995

सं० 3 एन० सी० ए (5)/3/94-95----इस संस्थान की घिससूचना मं० 3 एन० सी० ए० (4)/3/89-90 दिनाक 9-11-89, 3-एन० सी० ए (4)/2/93-94 दिनांक 7-3-94 4 सी ए० (1)/2/76--77 दिनाक 5-3-77, 3 एन० सी० ए० (4)/4/92-93 विनांक 11-1-93, 3 एन० सी० ए० (4)/2/90<del>-</del>91 दिनांक 16<del>-</del>11-90, 3 एस सी० ए० (4)/3/92-93 दिनांक 27-11-92, 4 सी ए (1)/6/28-83 दिनांक 8-7-82, 3 एन० सी० ए० (4)/6/92-93 विनॉक 11-3-92 ई o यी o ए o (4)/4/93-94 दिनाँक 1-2-94, 3 सी सी o ए o (4)/6 86-87 विनोक 28-1-87, 3 सी० सी० ए० (4)/5/93-94 विनोक 1-12-93, 3 एन० सी० ए० (4)/5/85-86 विनांक 20-3-86, 3 एन० सी० ए० (4)/10/83-84 विनांक 3-3-84, 3 एन० सी० ए० (4)/5/92-93 दिनाक 29-1-93, र्यान० मी० ए० (4)/3/91-92 दिनांक 14-2-92 भीर 3 एन**्**सी० ए० (4)/7/92-93 दिनांक 29-2-93, के सन्दर्भ में वार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसार्ण में एतव्हारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के जिनियम 19 बारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए

भारतीय चार्टक प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषय ने अग्ने सवस्थता रजिस्टर में निम्नलिखित सवस्थों का नाम पुन उनके मागे की गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

कस सं०	सवस्यता सं <b>ख्</b> या	नाम एवं पता	विनाक
1	3	3	4
1	4669	श्री डी० मियाजी, ए० सी० ए०, 2 श्री फोर्ट रोड, नई विल्ली-110049	26-4-94
2	5790	श्री भरविष्य बाबूगव सूर्ते, ए० सी० ए०, 10, भानन्य वेन, ए/6, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली—110063	18-5-94
3	6812	श्री सुरेन्द्र लाल बाजा, ए० सी० ए०, केयर भ्राफ मेट्टोपोलिटन स्कूल, पी० भ्रो० बाक्स, 33618,लुसाका, जाम्बिया	15-9-94

(919)

1-89 G1/95

नई दिल्ली, दिनांक 25 अपील 1995

सं० ए-33/15/1/90-नि० चि० (मु०) — कर्मचारी राज्य बीमा अधिनयम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उपधारा (2-क) के साथ पठित धारा 97 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (3) झारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए कर्मि चारी राज्य बीमा निगम में उप निसंग के पद पर भर्ती की पद्धित को नियमित करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतदक्षारा निम्निक्सित विनियम बनाता है, अर्थात,

### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :---

- 1. ये विनिधम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (उप नर्सिंग अधीक्षक) भर्ती विनिधम, 1995 कहे जाएंगे।
- 2. ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू श्रींगे।
- 2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :— पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संस्करन अनुसूची के कालम 2, 3 और 4 में विनिविष्ट रूप में विनिविष्ट रूप में
- उक्त पदों की भती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताए
   उक्त पदों को सम्बन्धित अन्य मामले उदत अनुसची के कालम
   से 14 में विनिद्धित रूप में होंगे।

## 4. अयोग्यता :---

स्ताकोई व्यक्ति :--

- (क) जिसमें एंसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है जिसका पति या किसकी परनी जीवित है, अथवा
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के **जीवित रहते हुए किसी** व्यक्ति से विवाह किया **है या विवाह करने का इकरार** किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/ होगी।

परन्तु यदि निगम के महानिदेशक इस बात से सन्तुष्ट हैं कि एंसा विवाह एसे व्यक्ति या विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू 'वैयक्तिक कानून" के अन्तर्गत अनुमेय हैं या एंसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट हैं सकते हैं।

- 5 हील देने की शिवितः अहां निगम के महानिद्शाक की राय में ऐसा करना अनिवार्य हैं या कालोचित हैं तो वे कारणों को लेखबद्ध करके तथा केन्द्रीय सरकार का विनिर्दिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के सम्बन्ध में इन विनियमों के किसी उपबन्ध में आदेश द्वारा हील वे सकते हैं।
- 6 अवशिष्ट मामले : इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, निगम के तदनुरूपी श्रेणी के पदो पर लागू सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ सम्बद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट पद्धें पर लागू होंगे।

7 अपवाद :---- इन विनियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणां आर अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं हालेगी जिनका केन्द्रीय सर-कार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर आरी किए गए आदेशां के अनुसार अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजातियों तथा द्सरे विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित हैं।

> लौलत परिचार महानिष्यस्क

अनुसूची

क्य मसिंग अजीवान	के पद	के भर्ती नियम
------------------	-------	---------------

इस अनु	पदों की सस्या सूची को	वर्गाकरण दिनांक 20.	वेतनमःन (घपये) .07.19	क्या चयन पत है अथवागैर- चयन 96 को प्		क्या सेवा के जोड़े गए बर्जी अध्यासिद्धाना	सीधी भर्ती किए आने वाले व्यक्तियो द्वाहीलए क्षेत्रिक तवा द्वाहीलय योग्यवार्ष
प्रतास्	थापति क	या गया है	1 4	5	6	7	8
<b>क्पन</b> सिंग	04*	भूप " <b>च</b> "	2000-60-	चयन	लागू नहीं	लायू महीं	लायू नहीं
मधीराणं ै		अ <b>सिपिकीय</b>	2300 <b>-द</b> ० रो	0-			
			75-3200-	-			
			100-3500	)			
*/****		<del></del>					

<sup>\*(1995)</sup> 

नार्थ भार जाघार भर पुरिवर्तनीय

क्या सीधी अर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के सिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं प्रवोक्षत व्यक्तियों के मामले से भी सागू होंगी	परिवीक्षा की अविष्कि, विष कोई हो	भर्ती की पद्धति— क्या सीधी चर्ती द्वारा समका प्रवोभति अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थामांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	चडो-मति / प्रतिनियुक्ति /स्वानोत्तरण द्वारा भर्ती के वासले में वे ग्रेव-जितने पंदोस्पति/ प्रतिनियुक्ति /स्वानोत्तरचे किया वाएना ।	यवि विकासीय पदोन्नति समिति है तो उसका जठन क्या है ।	वरिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लीक सेना आयोग से एउटमर्श क्रिया जाना है।
•	10	11	12	13	14
मायू नही	2 वर्ष	प्रवोच्चति	सहायक न सिंग अग्नीक्षक प्रेड में वो वर्ष की नियमित सेवा वाले टिप्पणी - जहां अहंकता पाद्वता पूरी कर लेने वाले कनिष्ठ व्यक्तियो पर	विभागीय पर्वान्निति समिति	संच लोक सेवा आयोग से परामर्ग आवश्यक नहीं है ।
			विवाद किया जा रहा हो तो उनके बरिष्क व्यक्तिको पर की विवाद किया जाएगा वगतों, उनकी अपेक्षिता सर्हकता वाकता सेवा मे एक वर्ष से अधिक की कबी म हो और परिवीक्षाधीन अविध, विव हो, सकलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	<ol> <li>शिकत्सा आधुक्त अध्यक्ष</li> <li>निदेशक (चि०) मुख्यालय सवस्य</li> <li>चिकित्सा अधीकक निर्मा अधीकक, क० रा० बी० अस्पताल, बसईबाराषु</li> <li>सवस्य</li> </ol>	

## क्षेत्रीय कार्यालय

गुवाहाटी-21, दिनाक 25 अप्रैल 1995

सं० 43 बी० 34/11/75-स्था०— यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य कीमा (साधारण) विभिषम, 1950 के विनिध्यम 10-क के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षंत्र में तंत्रपुर के लिये इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 43 बी० 34/11/75-स्था० विमांक 15-3-90 द्वारा गठित स्थानीय समिति का निम्न प्रकार पुनर्गठम किया गया है :—

#### अध्यक्ष

विनिधम 10-क (1) (क) के अन्तर्गत

सञ्चायक श्रम आयुक्त, तंत्रपुर, जाकघर तंत्रपुर, जिला शोनीतपुर।

#### सदस्य

विनिधम 10-क (1) (स) के अस्तर्गत

मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी जिला शोनीतपुर, झाकधर-सेजपुर ।

विनियम 10-क (1) (ग) के अन्तर्गत प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, गुबाहाटी या उसके द्वारा नामित कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी।

# विनियम 10-क (1) (भ) के अन्तर्गत

- श्री रिव चौधरी, कार्यकारी निवंशक मौसर्ज ट्रोड एण्ड इन्डस्ट्रीयर्ज डाक्स्सर तेजपुर।
- 2. श्री रत्तम मालानी, अकिर्पाइर, मौसर्ज असम काटन मिल्स हाकमर चारक्षार, जिला शौनीतपुर ।

विनियम 10-क (1) (इ) के अन्तर्गत

- श्री माली राम संक्रिया, ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्रीज, कर्मचारी संघ तेजपुर ।
- 2. श्री असुल बोरा,
  सचिव, असम काटन मिल्स कर्मचारी संघ,
  काकघर चारक्षारा, जिला शोशीतपुर ।
  सचिव

विनियम 10-क (1) (च) के अन्तर्गत प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय, कंट राट बीमा निगम, तेजपुर ।

बाद क्षानुसार

तपन कपुमार भट्टाचार्य क्षेत्रीय निर्वशक

#### EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 1st April 1995

No. N-15/12/1/10,94-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-4-95 as the date from which the indical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andria Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured pelsons in the following area in the State of Andria Pradesh namely:—

- (i) "The areas falling within the revenue villages of Bheemunipatnam, Valanda Bhumulu, Kummarapalem, Chippada, Amanan, Annavaram, Mulakuddu, Dakamari, Bodamettapalem, Majjivalasa, Singanabanda, Thatituru, Nagarapupalem, Sangivalasa, Ihallavalasa Jayathivani Agraharam in Bheemunipatnam mandal in Visakhapanm District.
- (ii) "The areas falling within the revenue vllages of Anandapuram, Peddipalem, Vellanki, Vemulavalasa, Lodagalavanpalem in Anandapuram mandal in Visakhapatnam District".
- (iii) "The agras falling within the revenue villages of Polipalli, Mapada, Rajapulova, Ravada, Savara Villi, Lingavalasa in Bhogapuram mandal and revenue villages of Modavalasa in Denkada mandal of Vijayanagaram District".

S. N. TIWARI Director (P&D)

#### The 25th April 1995

No. A-33/15/1/90-DM(HQ).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section-97 read with Sub-Section (2A) of the same sec ion and sub section (3) of Section 17 of the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Dy. Nursing Superintendent in the ESI Corporation, namely;

- 1. Short title and commencement :-
  - These Regulations may be called the ESI Corporation (Dy. Nursing Superintendent) Recruitment Regulation, 1995.
  - They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

100-3500

- 2. Number, classification and scale of pay:—The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2, 3 and 4 of the Schedule annexed to these Regulations.
- 3. Method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column 5 to 14 of the said Schedule.
  - 4. Disqualifications-No person :--
    - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
    - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Shall be cligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Director General of the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

- 5. Power to relax—Where the Director General of the Corporation is of opinion that it is necessary or expedient so to do, she may by order, for reasons to be recorded in willing and after taking the prior approval of the Central Government relax any of the provisions of these regulations with respect to any class of category of persons.
- 6. Residury matters:—Subject to the provisions of these regulations, all regulations and instructions applicable to the corresponding calegory of posts in the Corporation shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these regulations.
- 7. Savings:—Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in this regard.

LALIT PARIYAR
Director General

#### **SCHEDULE**

# Recruitment Rules for the Post of Deputy Nursing Superintendent

Name of Post	No. of Post	Classifi- cation	Scale of pay (Rs.)	Whether selection or Non- selection	Age limit for direct Recruits	Whether benefit of added yrs. of service	Educational & other Qualification Reqd. for direct recruits	Whether age & Eq. Pres- cribed for di- rect recruits	
				een S	ubsitu	u <b>ted</b> Vi	de notifica	atio ase of u	blished
<u>on</u> 20	<u>J</u> .U <u>/</u> . 2	.1 <u>996.</u>	4			7	8	9	
Doputy Nursing Superintendent	<u>+4</u>	Group B Non- Ministerial	2000-60- 2300-EB- 75-3200-	Selection	N.A.	N.A.	N,A.	N.A.	

\*(1995)

10	<u>ti</u>	<sub>12</sub>	13	<sub>14</sub> -
Period of Prob. If any	Method of Rectt, whether by direct Rectt, or by promotion or by deputation/Transfer & % of the vacancy to be filled by various methods.	In case of Rectt. by promotion/Deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	cxists what is	Circumstances in which U.P.S.C to be consulted in making Rectt.
2 Years	Promotion	Promotion  Assistant Nursing Superintendent with two years regular services in the grade  Note: Where juniors who have completed there qualifying eligibility service are boing considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.	Group B' DPC for considering promotion  1. Medical Commission : Chairman.  2. Director (M) Hqis. : Member  3. Medical Supdt / Nursing Sup It., ESI Hospital, Basaid trapar : Member.	Consultation with UPSC not necessary

Guwahati-21, the 25th April, 1995

No. 43-v. 34/11/75-Estt.:—It is hereby notified that the Local Committee Tezpur set up vide this office Notification No. 43-v. 34/11/75-Estt. dated 15-3-90 for Tejpur area, North Region under Regulation 10-A of the Employees' State Assurance (General) Regulations, 1950 has been re-constituted as under:—

Chairman Under Regulation 10-A (1) (a)		The Asstt. Labour Commissioner, Distt. Sonitpur, P. O. Tezpur
Members		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Under Regulation 10-A (1) (b)		The Chief Medical & Health Officer, Distt.; Sonitpur, P. O. Tezpur
Under Regulation 10-A (1) (c)		The Administrative Medical Officer ESI Scheme, Assam, Gawahati or any other medical officer nominated by him.
Under Regulation 10-A (1) (d)		Sri Rabi Chowdhury, Executive Director, M/s. Trade & Industries, Tezpur.  Sti Ratan Malani, Occupier M/s Assam Cotton Mills, P. O. Charduar, Distt. Sonitpur
Under Regulation 10-A (1) (e)	· · · 1.	Trade & Industries Employees Union P. O. Tezpur
Secretary		
Under Regulation 10-A(1)(f)	· · · · · ·	The Manager, E. S. I. Corporation.  Local Office, Tezpur
		By order

By order

T. K. BHATTACHARYYA Regional Director



सं० 29]

नई विल्लो, शनिवार, जुनाई 20, 1996 आषाढ़ (29, 1918)

No. 291

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 20, 1996 (ASADHA 29, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसने कि यह अलग नंकरन के रूप में रखा जा नको । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

# भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

सांत्रिकि निकायों तरा गरो की गई विविध प्रधिसूत्र गएं जित्रमें कि आदेश, विज्ञायन और सूचनाएं सम्मिलित हैं।

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व वैंक

केन्द्रीय कार्यालय

शीद्योगिक और नियति ऋण विभाग

मुम्बई, दिनांक 20 जून 1996

सं ० औतिऋवि | 12 | 08. 15.01 | 95-96-भारतीय रिजर्थ क्रैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में इसे समर्थ द्वानि वाली धन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्थ बैंक, इस विषय में सन्तुःट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा निवेश जारी करना है कि "गैर बैंकिंग कम्पनी (वाणिज्यक पन्न के मार्ज्यम सं जमा राशियों की स्वीकृति) निवेशा- बली, 1989" (यथा संशोधित) को निम्नलिखित ढंग सं तत्काल संशोधित कर दिया जाए, प्रयांत्:--

पैराप्राफ 7 के स्थान पर निम्नलिखित **ै**सग्राक रखा जाएगा, श्रयत् :--

"वाणिज्यिक पत्न के जिल्लाही जाने वाली कुत राशि, बैंक, बैंकों द्वारा किसी ऐसी जारोकर्ता करनते, जित्तका प्रतिकतन अनुमत बैंक विन् 20 करोड़ काए से कर प्रांका गरा हो, को स्वीकृत कर्यणील पूंजीगत (निधि आधारित) सीमाओं के नकदी कर्य घटक के पचहत्तर प्रतिशत श्रधिक नहीं होगी । जिस जारीकर्ता कम्पनी का अधिकतम प्रनुसत बैंक वित्त 20 करोड़ रुपए प्रथमा उससे प्रधिक आंका गया हो, उसके सम्बन्ध में वाणिज्यिक पत्न के जिरए उगाही जाने वालो कुल राशि बैंक / बैंकों द्वारा स्वीकृत कार्यगोत पूंजोगत (तिथि आधारित) सीमाओं के नकदी ऋग घटक के सी प्रतिगत से अधिक नहीं होगी ।"

वी० सुत्रमण्यिम, कार्यपालक निदेशक

1	2	3	4
183,	203274	श्री चन्द्रासेकरन एस, ए० सी० ए० , मैनेजर कोटक महिन्द्रा फाइनेन्स लि० 414, मिनवीं काम्पलेक्स. 94, सरोजिनी देवी रोड़,	1-10-95
184.	203287	सिकन्दराबाव-500003. श्री चन्द्रा सेखरा रेडडी बिन्या, ए०सी० ए०, बार्टंड एकाउन्टेस्ट, 39 बैंकटसन स्ट्रीट, ए4 बिष्णुप्रिया भ्रपार्टमेंटस ठी नगर, मदास-600017	1-10-95
185.		श्री राहुल मस्लिक, ए० सी० ए०, 1255, यूनिवर्सिटो एवेन्यु, एपीटी 127 स्थामेन्टो, सी० ए० —958,55, यू० एस० ए०	1-10-95
186.	203604	सी है एक निकास का स्थान के स्	1-10-95
187.	203688	मिन राज्या सक्ष्मी थी,  प्र सी० ए०,  पार्टक एकाअस्टेन्ट,  नं० 11 (आईएफएस),  धनासुया खूमण स्ट्रीट,  नागर्जुना नगर 2 स्ट्रीट,  रंगराजापुरम,  मन्नास600024.	1-10-95
188.	20:988	श्री वेंकटेशवरलु ए, ए० सी० ए०, वार्टर्ड एकाउन्टेस्ट, केयर मोफ, रंगप्पा बी० पी० एन० ए० ए० चास्ट्री, नं० 39, भयोजिट वशाबी टेम्पस, बी० बी० पुरम, बंगलोर-560004.	i – 1 0 – 9 5

1	2	3	. 4
189.	204010	श्री बेंकटा क्वष्णन एम, ए० सी० ए०, नं० 18 दामीदरन स्ट्रीट, टी० नगर, मदास~600017.	1-10-95
			ए० के मजुमवार सचिव

## कर्मभारी राज्य बीमा निगम

विनांक 14 जुलाई, 1996

संक्ष्मा : ए-33 (15) \$1 \$95-िन नि० कि० (मु०) : कर्मवारी राज्य बीमा प्रधिनियम, 1948 की धारा 17 की उप धारा (3) तथा उसी धारा की उप धारा (3) तथा उसी धारा की उप धारा (2) के बारा प्रवक्त सक्तियों का प्रयोग करने हुए तसी कर्मवारी राज्य बीमा निगम (उप निसंग प्रधीक्षक) भर्ती विनियम, 1995 के प्रधिकमण मे, ऐसे प्रधिकमण से पूर्व किए गए भयवा करने से छूट गए कार्यों को छोड़कर, कर्मवारी राज्य बीमा निगम में (उप निसंग प्रधीक्षक) भर्ती विनियम, 1995 को संशोधन करके कर्मवारी राज्य बीमा निगम में उप निसंग प्रधीक्षक के पद पर भर्ती प्रदिति विनियमित करने के लिए कर्मवारी राज्य बीमा निगम उप निसंग प्रधीक्षक पर भर्ती विनियम, 1995 को सोश करने के लिए कर्मवारी राज्य बीमा निगम उप निसंग प्रधीक्षक पर भर्ती विनियम, 1995 को घोर संशोधित करते हुए एतवद्वारा निम्नलिखित विनियम, भर्गत है, सर्वात् ः—

## संक्षिप्त नाम भौर प्रारम्भ :

- (i) ये विनियम कर्मधारी राज्य बीमा निगम (उप मसिंग मधीक्षक) भर्ती (संगोधन) विनियम, 1996 कहे आएंगे।
- (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की सारी का से लागू होंगे।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (उप नाँसग मधीक्षक) भर्ती विनियम,
   1995 के साथ अनुबद्ध अनुसूची को उप नाँसग भधीक्षक के पद के संबंध में इन विनियमों के साथ अनुबद्ध अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

हस्साक्षर मुरेन्त्र कुमार शमी महानिदेशक

# अनुसूची उप नसिंग अधीक्षक केपदकेभतीं विनियम

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	मया चयन पद है अथवा गैर चयन
1	2	3	4	5
उप नर्सिंग ग्रधीक्षक	04*	सूप "ख" गैर श्रनुसचिवीय	ह० 2000-60-2300- व० रो०-75-3200-100- 3500/-	चयन

<sup>\*(1996)</sup> कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंधन) नियम, 1972 के नियम-30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ पद पर स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भंतीं के व्यक्तियों के लिए अपिक्षित गैंकिक तथा ग्रेन्य योग्यताएं
. 6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	सागू नहीं
क्या सीधी भेती किए जीने बाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और गौक्तिक योग्यताएं पदोन्नति व्यक्तियों पर भी लागू होंगी ।	पॅरिबीक्षेत की अवधि	भर्ती की पद्धति—न्या सीधी भर्ती द्वारा/या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानोत्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जामें वीली रिक्तियों की प्रतिशंतिता
9	10	11
लागू नहीं	2 वर्ष	प <del>धोन्न</del> ति
पदोन्निति/प्रतिनियुक्तिः स्थानातरण द्वःरा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नित/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	यदि विभानीय पदोम्नति समिति है तो उपत गठम वैधा है ।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लीक सेवा आयोग से परीमशें करना होगा ।
12	13	14
पदोर्निति	ग्रुप <b>'ख'</b> 'ः पं <mark>चीन्नति के लिए</mark> विभागीय पदोन्नति समिति	संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श <del>श्राकश्यक</del>
ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सिंहत सहायक निस्त अधीक्षक टिप्पणी: जहाँ कनिष्ठ में प्रपनी ग्रहें क/पांस्रता सेवा पूरी कर ली हो वे पद्मोन्नित के पान्न हैं, उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जा सकेगा वणतें उनकी ग्रहें क/पांस्रता सेवा एक वर्ष से ग्राधिक कम न पड़ती हो और यदि विनिधीरित हो, उन्होंने परिवीक्षा ग्रवधि पूरी कर ली हो।	<ol> <li>ग्रध्यक्ष/संवस्थ, संघ लीक सेवा ग्रायोग : अध्यक्ष</li> <li>चिकित्सा ग्रायुक्त : सदस्य</li> <li>जिदेशक (चिकित्सा) मुख्यलिये : सदस्य</li> <li>चिकित्सा अधीक्षक/ निसग ग्रधीक्षक, क० राज बीण ग्रस्पताल, जसईदारापुर : सदस्य</li> </ol>	

टिप्पणी : प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र दिमांक 27-5-1995 की धारा 4 के भाग 3 में श्रिधि पूचना संख्या ए०-33(15)/1/90-नि० चि० (मु०) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

Chartered Accountant, 1/9 Ulsoor Road, Hanumanthappa Layout, Bangalore-560 042.  172 201936 Mr. Reginald H J 01/10/95 Rosario ACA, L-68 Sector XI, 9-B, Main Jcevanbhima Ngr., Hal III Stage, Bangalore.  173 202040 Ms. Beena Philip ACA, 01/10/95 Tharayil House, Janatha Road, Vytila PO, Cochin-682 019.  174 202081 Mr. John Michael Raj 01/10/95 G ACA, Chartered Accountant,  Vintha ACA, Chartered Accountant, 185 20353 Mr. Rahul Mali 1255 University Apt 127, Sacran CA 95825, USA.  Mr. James Jose Chartered Accountant, Rangalore-560 00	Mahindra complex, ri Road, 0 003. khara Reddy 01/10/95 untant, Street, Apartment, ik ACA, 01/10/95 AVE, nento
Chartered Accountant, 1/9 Ulsoor Road, Hanumanthappa Layout, Bangalore-560 042.  172 201936 Mr. Reginald H J 01/10/95 Rosario ACA, L-68 Sector XI, 9-B, Main Jecvanbhima Ngr., Hal III Stage, Bangalore.  173 202040 Ms. Beena Philip ACA, 01/10/95 Tharayil House, Janatha Road, Vytila PO, Cochin-682 019.  174 202081 Mr. John Michael Raj 01/10/95 G ACA, Chartered Accountant,  Vintha ACA, Chartered Accountant, 19 Ulsoor Road, Hartered Accountant, 19 Ulsoor Road, 19 Venkatesan 39, Venkatesan 34, Vishnupriya Thagar, Madras-600 017. 185 20553 Mr. Rahul Mall 1255 University Apt 127, Sacran CA 95825, USA.  173 202040 Mr. James Jose Chartered Accountant	untant, Street, Apartment,  ik ACA, 01/10/95 AVE, nento,
Rosario ACA,   185   20553   Mr. Rahul Mall   1255 University   Apt. 127, Sacran   CA   95825, USA.   173   202040   Ms. Becna Philip ACA,   01/10/95   186   203604   Mr. James Jose   Chartered According   Cochin-682 019.   174   202081   Mr. John Michael Raj   01/10/95   187   203688   Ms. Rajya Laks   Chartered According   C	AVE, nento.
Tharayil House, Janatha Road, Vytila PO, Cochin-682 019.  Mr. John Michael Raj G ACA, Chartered Accountant,  Tharayil House, Janatha Road, Chartered Accountant,  Ol/10/95 187 203688  Ms. Rajya Laks Chartered Accountant, No. 11 (IFL) A	oh ΛCA, 01/10/95
G ACA, Chartered Accountant, No. 11 (IFL) A	untant, (4) Wheeler Road,
Nagarjuna Nagar 343, I loor, Rangarajapuram, Arcot Road, Madras-600 024.	Anasuya Street, II Street,
Kodambakkam, Madras-600 024.  188 203888 Mr. Venkateswa Cbartered Acco Coarlered Acco Coarlered Accountant, Sreenivasa Apartments, Flat No. 6 Raj Bhavan Road,  Kodambakkam, Mr. Venkateswa Cbartered Acco C'o Rangappa & N A A Choultr Opp. Vasavi Te Bangalore-560 00	B P, y, No. 39, mple, V V Puram,
Somajiguda,	ran Street,
177 202282 Mr. Varadarajan T K ACA, 01/10/95 309-A Nethaji Street, Thiruvangatapurram, Ponneci 601 204	A. K. MAJUMDAR Secretary
EMPLOYEES' STATE INSURAL  Mr. Rajasekhar Reddy J V ACA. P O Box 50364 Dubai, U A E.  EMPLOYEES' STATE INSURAL  No. A-33(15)/1/95-DM(HQ).—In conferred by sub-section (1) of Section (2A) of the same section a Section 17 of E.S.I. Act, 1948 and	exercise of the powers ctoin 97 read with sub- and sub-section (3) of in supersession of E.S.L.
179 202509 Mr. Boyapati Kesava 01/10/95 Rao ACA, 8-3-677/62/1, Plot No. 9 Navodayanagar, Yellareday Guda, Hyderabad-500 873. Corporation (Dy. Nursing Supering Corporation (Dy. Nursing Supering	ates to the post of Dy. spect of things done or rsession, the Employees' makes, with the approne following regulations Superintendent) Recruittue method of recruit-
180 202950 Mr. Sudarshan R ACA, 01/10/95 Corporation namely:  Anna Salai,  180 202950 Mr. Sudarshan R ACA, 01/10/95 Corporation namely:  1. Short title and commencement:	Superintendent in E.S.I.
181 203058 Mr. Chandra Sekaran S 01/10/95 State Insurance Corporation intendent) Recruitment (An	(Dy. Nursing Super-
ACA, Chief Accountant Gulf Trading Corpn. P.O. Box 4.  (ii) They shall come into force	e on the date of their
Alkhobar, publication in the official G Saudi Arabia. 2. The schedule annexed to the	azutte. Employees State Insu-
rance Corportaion (Dy. Nursing St. ment Regulations, 1995 shall be sub annexed to these regulations in resp. Nursing Superintendent.  A O No. 489 Avenue Road,	sperintendent) Recruit- stituted by the schedule sect of the post of Dy.
Bangalore-560 002.	S. K. SHARMA Director General

SCHEDULB

RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DY. NURSING SUPERINTENDENT								30122022
Name of Post	No. of Post	Classifi- cation	Scale of Pay	Whether selection or non-selec- tion post	Age limit for Direct recruits	Whether benefit of added yrs. of service admissible	Educational & other qualifi-cation required for direct recruits	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Deputy Nursing Superintendent	04**	Group 'B' Non- ministerial	Rs. 2000– 60–2300– EB–75– 3200–100– 3500	Selection	N.A.	N.A.	N.A.	N,A
*(1996) Sub- ject to variation dependent on workload	ı							_
Period of probation if any		transfer & vacancy to	In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/trans- fer to be made			If A DPC exists what is its composion		Circumstances in which UPSC is to be consul- ted in making rectt.
10	<u>iI</u> ·		12			13		14
2 Years	Promotion		Promotion  Assistant Nursing Superintendent with two years regular service in the grade.			Group 'B' D.P.C. for considering promotion  1. Chairman/Member. UPSC: Chairman		Consultation with UPSC necessary
			Note: Where Junior who have completed their qualifying/eligibil—ity service are being considered for promotion their Seniors will also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.			3. Director	Commissioner : Member (M) Hqrs. : Member Superintendent/ erintendent, ital.	

Note : The Principal regulations were published vide notification No. A-33(15)/1/90-DM(HQ) in Par<sub>r</sub>-1II Section 4 of Gazette of India. dated 27-5-1995.

प्रतासक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मृद्रित ्व प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996 Printed by the Manager, Govt. of India Press, Farldabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996.